29/10/24 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता
उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 7 नियम
11 प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विवादग्रस्त भूमि ग्राम
पुर के खसरा नं. 7169 एवं 7170 की भूमि राजस्व
रिकॉर्ड में गै. मु. आबादी दर्ज होने से विवादग्रस्त
भूमि के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार नहीं होने
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
स्वीकार करने तथा वाद खारिज करने का निवेदन
किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का
जवाब नहीं दिये जाकर सीधे ही बहस सुनाई गई।
वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पेश होने की दिनांक
की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि कृषि भूमि के रूप
में दर्ज होने से वाद चलने योग्य होने तथा
श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का होने का निवेदन
किया गया।

अतः प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया
जाकर वाद में सुनवाई कर गुणावगुण पर उसका
का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

सरकार पैरोकार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में
भूमि गै. मु. आबादी दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 के अन्तर्गत श्रवणाधिकार नहीं
होने से वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पुनः बहस करते
हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
207 के अन्तर्गत श्रवणाधिकार नहीं होने से वाद में
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया
जाकर वाद को खारिज किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता तथा वादी अधिवक्ता
की बहस तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संबंधित [illegible]
एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा मनन
एवं चिन्तन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की
बहस के चिंतन एवं मनन तथा पत्रावली का अवलोकन
उपरान्त हम यह उचित समझते है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर — लगातार
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोगा वा. [illegible] व अन्य	
22/10/14	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है क्योंकि विवादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गै.मु. आबादी भूमि है तथा गै.मु. आबादी भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।	
	अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 को खारिज किया जाता है। निर्णय [illegible] सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।	
	22/10/14 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	